376

442

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

II/निग0/2018/0134

1. श्रीमती विद्यावती शुक्ला पति स्व0 प्रहलाद शुक्ला
2. सत्येन्द कुमार शुक्ला
3. राबेन्द्र कुमार शुक्ला

दोनो के पिता स्व0 प्रहलाद शुक्ला सभी निवासी ग्राम व पो0 मदरी तहसील गढ तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ......निगरानीकर्तागण

बनाम

रामनिरंजन शर्मा तनय स्व0 रामलाल शर्मा निवासी ग्राम व पो0 मदरी तहसील गढ तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0..... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी सीमांकन आदेश प्रकरण क्र0 51ए/12/2015–16 आदेश दिनांक 29.08.16 आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 ई0

अधि0 श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा पेश/30-12-17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानीकर्तागणों की ओर से विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :–

1. यह कि सीमांकित आराजी ग्राम मदरी पटवारी हल्का मदरी सार्किल लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा में स्थित भूमि खसरा क्र0 2/1क रकवा 0.194 हे0 के भूमि स्वामी अनावेदक राजस्व अभिलेख में मात्र दर्ज है किन्तु मौके से आधिपत्य धारी नहीं है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि का सीमांकन अनावेदक के दबाववप्रभाव में आकर राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा बिना मौके में स्थल पर गए चुप चाप चोरी चोरी फर्जी रूपसे सूचना व स्थल पंचनामा तैयार करके दिनांक 29.08.16 को सीमांकन आदेश पारित कर दिया जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

विद्यावती शुक्ला   सत्येन्द्र शुक्ला   राबेन्द्र शुक्ला

(334)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 134 जिला–रीवा

विद्यावती शुक्ला / रामनिरंजन शर्मा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल लालगांव तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 51 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	